फाइल नं0-71-1002(002)/25/2022

91/2022/1/191735/2022

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 19 जुलाई, 2022

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-**88**-पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना तथा मानक मद-**90**-राजकीय मेडिकल कालेजों में नर्सिंग कालेज में विभिन्न व्ययों को वहन किये जाने हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2022-23/161, दिनॉक 17.06.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व मद में मानक मद-88-पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में प्राविधानित धनराशि रू0 5000.00 लाख तथा मानक मद-90-राजकीय मेडिकल कालेजों में नर्सिंग कालेज में विभिन्न व्ययों को वहन किये जाने हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 525.00 लाख, जिसका विवरण प्रस्तर-2 में उल्लिखित है, के अनुसार कुल रू0 55,25,00,000 (रुपये पचपन करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीव अन्य़ कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि को अवमुक्त किये जाने के संबंध में कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों को वेतन प्रत्येक माह की पहली तारीख को उनकी उपस्थिति सत्यापित करने के बाद अवमुक्त किया जाये। साथ ही कर्मचारियों के खाते में वेतन पहुँच गया, इसका प्रमाणपत्र सर्विस प्रोवाइडर से लेने के बाद अगले माह का वेतन सर्विस प्रोवाइटर का अवमुक्त किया जाये। इसके लिए एक पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना संभव नहीं होगा।
5. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/डाकघर/ पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2210051050388 (पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050388 पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना	42 अन्य व्यय	50,00,00,000 (रुपये पचास करोड़ मात्र)
	कुल			**50,00,00,000** **(रुपये पचास करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050390 (राजकीय मेडिकल कालेजों में नर्सिंग कालेज)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050390 राजकीय मेडिकल कालेजों में नर्सिंग कालेज	01 वेतन	2,99,25,000 (रुपये दो करोड़ निन्यानवे लाख पच्चीस हजार मात्र)
2	031	2210051050390 राजकीय मेडिकल कालेजों में नर्सिंग कालेज	03 मंहगाई भत्ता	51,30,000 (रुपये इक्यावन लाख तीस हजार मात्र)
3	031	2210051050390 राजकीय मेडिकल कालेजों में नर्सिंग कालेज	06 अन्य भत्ते	4,18,000 (रुपये चार लाख अठारह हजार मात्र)
4	031	2210051050390 राजकीय मेडिकल कालेजों में नर्सिंग कालेज	08 कार्यालय व्यय	7,60,000 (रुपये सात लाख साठ हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.nic.in

5	031	2210051050390 राजकीय मेडिकल कालेजों में नर्सिंग कालेज	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	19,00,000 (रुपये उन्नीस लाख मात्र)
6	031	2210051050390 राजकीय मेडिकल कालेजों में नर्सिंग कालेज	29 अनुरक्षण	19,00,000 (रुपये उन्नीस लाख मात्र)
7	031	2210051050390 राजकीय मेडिकल कालेजों में नर्सिंग कालेज	42 अन्य व्यय	9,50,000 (रुपये नौ लाख पचास हजार मात्र)
8	031	2210051050390 राजकीय मेडिकल कालेजों में नर्सिंग कालेज	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	3,80,000 (रुपये तीन लाख अस्सी हजार मात्र)
9	031	2210051050390 राजकीय मेडिकल कालेजों में नर्सिंग कालेज	55 मकान किराया भत्ता	7,60,000 (रुपये सात लाख साठ हजार मात्र)
10	031	2210051050390 राजकीय मेडिकल कालेजों में नर्सिंग कालेज	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,03,77,000 (रुपये एक करोड़ तीन लाख सतहत्तर हजार मात्र)
	कुल			**5,25,00,000** **(रुपये पांच करोड़ पच्चीस लाख मात्र)**

महायोग	55,25,00,000 (रुपये पचपन करोड़ पच्चीस लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- उपरोक्त, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कुलपति/कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय , लखनऊ/उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय , सैफई, इटावा।
4- निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान , लखनऊ/एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ/सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान , लखनऊ/गर्वनमेन्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ग्रेटर नोएडा/सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान , नोएडा।
5- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6- समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज एवं स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उ0प्र0।
7- संबंधित वित्त नियंत्रक, उ0प्र0।
8- संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10- निदेशक, हृदय रोग संस्थान , कानपुर/जे0के0 कैंसर संस्थान ,कानपुर।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।